

झारखण्ड सरकार
वाणिज्य-कर विभाग

ज्ञाप संख्या- वा0कर/GST/12/2017- 2429

/राँची, दिनांक - 10/8/18

शुद्धिपत्र

झारखण्ड सरकार, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना सं०- एस० ओ० 84 - राज्य-कर जिसे झारखण्ड के राजपत्र में दिनांक 5.10.2017 को प्रकाशित किया गया था के हिन्दी पाठ में स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण पढ़ा जाए, अर्थात् :-

स्पष्टीकरण- इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, "हस्तशिल्प माल" पद से, नीचे सारणी के स्तम्भ (2) में उल्लिखित उत्पाद और उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित सुमेलित नामपद्धति प्रणाली (एचएसएन) संहिता अभिप्रेत है, जब उत्पाद शिल्पकारों द्वारा प्रमुखतया हाथ से बनाया जाता है, हालांकि प्रक्रिया में कुछ मशीनरी का भी प्रयोग किया जा सकेगा।

2. यह अधिसूचना 16.09.2017 से प्रवृत्त होगी।

f.aitam
2/8/18

(के० के० खण्डेलवाल)

अपर मुख्य सचिव

11/10/18